न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–95/2021

इन्द्रसान राम.....वादी

बनाम

कोदई यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.02.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–04 की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 07.11.2022 के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–04 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 07.11.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–04 राजेन्द्र लाल दिनांक 24.02.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर बयान तहरीरी हेतु समयावेदन दिये तथा प्रतिवादी सं0–04 को न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.06.2022 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया है। प्रस्तुत वाद में कुछ जरूरी कागजात का नकल नही था इसलिए बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंभ हुआ। प्रतिवादी सं0–04 द्वारा जानबुझकर अपना बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंभ नही किया गया। यदि प्रतिवादीगण का बयान तहरीरी को स्वीकार नही किया गया तो प्रतिवादी सं0–04 को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसे न्यायहित में स्वीकार करना अति आवश्यक है। प्रतिवादी सं0–04 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किये गये आदेश दिनांक 28.06.2022 को न्यायहित में वापस करते हुए बयान तहरीरी ग्रहण करने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–04 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादी सं0–04 को अपना बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया परंतु प्रतिवादी सं0–04 द्वारा अपना बयान तहरीरी समय पर दाखिल नही किया गया। अतः प्रतिवादी सं0–04 का आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–04 दिनांक 24.02.2022 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 28.06.	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–95/2021</u>

लगातार 02.02.2023	2022 को उपस्थित प्रतिवादी सं0–04 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–04 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–04 द्वारा विलंब से बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–04 का आवेदन मो0–2500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 28.06.2022 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–04 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 14.03.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	